न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 94 / 2022(2022 / 316)

1. घीसालाल पुत्र श्री छोटू जाति गुर्जर निवासी कणोज तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

—— प्रार्थी

बनाम

1. किशनलाल पुत्र श्री काना गुर्जर।
2. अम्बालाल पुत्र श्री गणेश गुर्जर।
3. छीतर पुत्र श्री काना गुर्जर।
4. गोपाल पुत्र श्री काना गुर्जर।
5. श्योजीराम पुत्र श्री उदा गुर्जर।
6. रामधन पुत्र श्री उदा गुर्जर।
7. भैरू पुत्र श्री भीवा गुर्जर।

समस्त जाति गुर्जर निवासीगण कणोज तहसील केकडी जिला अजमेर।

8. श्रीमान तहसीलदार महोदय, केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

—— अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित –
प्रार्थी वकील :– श्री हनुमान प्रसाद शर्मा।
अप्रार्थीगण वकील:– श्री शिव प्रसाद पाराशर।
पैरवीकार सरकार :– जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 21.6.2022

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रकरण संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके **ग्राम कणोज तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। आराजी** की जमाबन्दी संवत **2073–76** में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:–

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
132–126	181 / 2205 182 / 2206 183 / 2207 195 / 2246 184	0.0800 0.1500 0.1500 0.1000 1.08	चाही 2 चाही 2
	कुल किता 5		

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थि की खातेदारी की आराजीयात है व प्रार्थि ही आराजीयात को काश्त कर **पैदावार** प्राप्त करता चला आ रहा है। प्रार्थि ही मौके पर काबिज है तथा काश्त करता चला आ रहा है। **प्रार्थि की** उक्त आराजीयात की सीमाएं अस्पष्ट हो गई है, जिसके कारण मौके पर विवाद होने की आशंका **पैदा हो गई** है। इसलिए पत्थरगढ़ी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अप्रार्थीगण संख्या 1 **लगायत** 7 पडौसी है अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 प्रार्थि की उक्त आराजीयात के सीमा चिन्ह को नष्ट **कर** आराजीयात के हिस्से पर कब्जा करने पर उतारू हो रहे हैं। सीमा चिन्हों को मौके पर नष्ट कर दिया **जिससे** उक्त आराजीयात का स्थायी सीमा ज्ञान पत्थरगढ़ी से करवाया जाना आवश्यक हो गया है। इस

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

कारण श्रीमान् के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है प्रार्थि के कब्जे काश्त व खातेदारी की उक्त आराजीयात की पत्थरगढी नहीं करवाई गई तो प्रार्थि को अपूरणीय क्षति होगी तथा मौके पर लड़ाई झगड़ा एवं अशांति होगी तथा अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी बढेगी। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 8 को सीमा ज्ञान हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 8 ने कहा कि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी से पत्थरगढी के आदेश लेकर आओ अतः प्रार्थना पत्र के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। अतः उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी अपनी उपरोक्तानुसार आराजी पर पत्थर गढी कराने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 लगायत 7 को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने व न्यायाहित में अंतिम अवसर दिये जाने के बावजूद अनुपस्थित रहे उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब में बताया कि संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपि में अंकित भूमि खातदार के दर्ज है राजहित प्रभावित नही है पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम कणोज तहसील केकडी की जमाबन्दी संवत 2073–76 के खाता संख्या नया पुराना 132–126 के खसरा संख्या 181/2205, 182/2206, 183/2207, 195/2246, 184 रकबा 0.0800, 0.1500, 0.1500, 0.1000, 1.08हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner